

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 12/06/2024

क्रमांक 4.5.1/आउशि/शाखा-1/2024 :: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों- बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत- तीन वर्षीय), बी.एल.एड., बी.एड. (अंशकालीन- तीन वर्षीय) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के तृतीय चरण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक से
तृतीय चरण			
1	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक, जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)। (ब) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/वरीयता प्राप्त करना	07-06-2024	14-06-2024
2	निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	08-06-2024	14-06-2024
3	त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना	08-06-2024	15-06-2024
4	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	18-06-2024	
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	25-06-2024	
6	आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना	25-06-2024	01-07-2024
7	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रवेश ले चुके आवेदकों द्वारा संबंधित हेल्प सेंटर पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाने तथा मूल टी.सी. जमा करने की अंतिम तिथि	10-07-2024	

2/ शेष नियम तथा शर्तें यथावत् रहेंगे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

निरंतर 2

पृ.क्र. 458/आउशि/शाखा-1/2024

भोपाल, दिनांक 1.2.06/2024

प्रतिलिपि :-

- 1) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,
- 2) स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- 3) निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
- 4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, पांचवीं मंजिल, डी.बी. सिटी कॉरपोरेट ऑफिस, भोपाल
- 5) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
- 6) कुलसचिव, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश,
- 7) प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश,
- 8) प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय (एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर), मध्यप्रदेश,
- 9) एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएं, मध्यप्रदेश,
- 10) वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश